अमर उजाला

नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सातवां आरोपी भी काबू

अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Sep 2021 12:38 AM IST

पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि खेतान पाना निवासी एक व्यक्ति ने सीआईए को बताया था कि 27 अप्रैल को उसकी मां की तबियत खराब होने पर रोहतक गेट स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा बुजुर्ग महिला की कोरोना टेस्ट कराया। जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद डॉक्टर ने महिला को रेमडेसिविर इंजेक्शन से इलाज कराने की बात कही।
शिकायतकर्ता का आरोप लगाया कि अस्पताल के मेडिकल स्टोर से इंद्र नामक व्यक्ति से रेमडेसिविर इंजेक्शन उसे 70 हजार रुपये बेच दिया। पांच मई को महिला की मौत हो गई। इसके बाद उस इंजेक्शन को वापस करने गया तो मेडिकल स्टोर संचालक ने लेने से इंकार कर दिया। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी। सीआईए टीम के निरीक्षक नरेंद्र सिंह की टीम ने नकली इंजेक्शन बेचने के मामले में सातवें आरोपी को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद शाह आलम वासी मोहाली पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर सात दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया है। इस दौरान आरोपी से पूछताछ जारी है।

Source: https://www.amarujala.com/haryana/bhiwani/seventh-accused-arrested-in-fake-remdesivir-injection-case-bhiwani-news-hsr6120812107